



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous body under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India)
पो.ओ.न्यू फॉरेस्ट देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड)
P. O. New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

सं० 3-14/2014/भा.वा.अ.शि.प/सू.अ.अ.(अ.अ)/१७ दिनांक: 19 अप्रैल, 2016

कार्यालय ज्ञापन

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के निरीक्षण में यह पाया गया है कि अपीलकर्ता प्रायः यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि वे केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय से संतुष्ट क्यों नहीं हैं, तथा निर्णय के कौन से बिंदु के विरुद्ध अपील कर रहे हैं। अपील करने का आधार तथा क्या राहत अपेक्षित है का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है। अपील के साथ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं जो 'सूचना अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत मांगी गई सूचना/प्रलेख से संबद्ध नहीं होते हैं। अपीलकर्ता द्वारा वांछित सूचना का बिंदुवार उल्लेख तथा संबंधित दस्तावेज नत्थी नहीं करने के कारण अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की मूल भावना के अनुसार निर्णय लेने में असुविधा होती है।

अतः भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के अधीन नियुक्त सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों का निस्तारण करते समय सूचना आवेदनकर्ता को स्पष्ट रूप से बतायें कि 'यदि वे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करना चाहें तो विहित प्रपत्र में दिये गये बिंदुओं के अनुसार अपील करें'। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता कृपया अपने उत्तर/निर्णय के साथ-साथ विहित प्रपत्र की एक प्रति संलग्न कर भेज दिया करें।

संलग्नक: यथोक्त

(डॉ एन.एस.बिष्ट)

अपीलीय अधिकारी, सूचना अधिकार अधिनियम
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को महानिदेशक महोदय की सूचनार्थ।
2. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प., को इस अनुरोध के साथ कि वे उपर्युक्त प्रपत्र को भा.वा.अ.शि.प. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

FORM E
[See rule 6 (1)]
Form of First Appeal

ID No.
Date
(For official use)

To,

The Appellate Authority

.....
(Name of Public Authority/ Department/Office)
Address:.....

Sir,

As I have not received any decision/ As I am aggrieved by the decision of the Public Information Officer dated I, hereby file this first appeal under section 19 (1) of the RTI Act, 2005. The particulars of my appeal are as under:

1. Name of the appellant:
2. Address of appellant:
3. (A) Name of the Public Information Officer:
(B) Name of Public Authority/Department/Office
and address:.....
(C) Particulars of the decision against which
the appeal is preferred including
the No. & Date of such decision.
4. Date of application submitted to
the Public Information Officer:
5. Details of Information:
(1) Information asked for
- (2) Period for which information is sought
6. Date of completion of 30 days after submitting
application to the Public Information Officer :
7. Reasons for Appeal:
(A) No decision is received within 30 days of
submission of application to
the Public Information Officer.
(B) Aggrieved by the decision of
Public Information Officer Dated:
8. Ground for appeal:
9. Last date for filing the appeal :
10. Prayer/reliefs sought for:

I hereby state that the information and particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:
Date:.....

Name of Appellant
Signature
Address.....
E-mail, if any.....

प्रपत्र 'छ'
(नियम 6(1) देखें)
प्रथम अपील का फार्म

आई0डी0 सं0
दिनांक
(कार्यालय व्यवहार के लिए)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी

.....
विभाग/कार्यालय

पता

महोदय,

चूँकि लोक सूचना अधिकारी से मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूँकि लोक सूचना अधिकारी के निर्णय दिनांक..... से मैं क्षुब्ध हूँ, यह अपील सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन आपके समक्ष दायर करता/करती हूँ। मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है—

1. अपीलकर्ता का नाम :-
2. अपीलकर्ता का पता :-
3. (क) लोक सूचना अधिकारी का नाम:
- (ख) विभाग/कार्यालय और पता:.....
- (ग) निर्णय का विवरण जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है
निर्णय सं0 एवं तिथि :
4. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करने की तिथि :
5. सूचना का ब्यौरा –
(1) सूचना जो मांगी गई
(2) अवधि जिसके लिए सूचना की मांग की गई।
6. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करने के बाद तीस दिन पूरे होने की तिथि:
7. अपील का कारण
(क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करने के तीस दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।
(ख) लोक सूचना/आधिकारी के निर्णय दिनांकसे क्षुब्ध।
8. अपील का आधार :
9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि :
10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया :

मैं घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, दी गई सूचना एवं ब्यौरा सत्य है।

स्थान :

तिथि :

अपीलकर्ता का नाम.....

हस्ताक्षर

पत्राचार का पूरा पता

ई-मेल पता, अगर कोई हो.....